

* क्रिपस मिशन *

1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ~~अन~~ हो गई के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन वास्तविक अर्थों में प्रारंभ हो गया था। 1930 ई० तक विभिन्न चरणों को पार करते हुए कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता तो क्या औपनिवेशिक स्वराज्य भी भारतीयों को देने के लिये तैयार न था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई किन्तु यह अधिनियम भारतीय भावनाओं को संतुष्ट न कर सका। सितम्बर 1939 ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने पर इंग्लैंड ने भारत रक्षा अधिनियम पारित करके भारत में कार्यरत नौकरशाही को युद्ध प्रयासों हेतु विशेष अधिकार प्रदान किये गये। इंग्लैंड ने भारतीयों की ओर से भी जर्मनी, इटली व जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मित्र राष्ट्रीयों ने यह भी घोषणा की कि वे प्रजातन्त्र को सुरक्षित करने की भावना से युद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करे तथा सितम्बर 1939 ई० को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से भारतीयों की आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने को कहा। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिये किये जा रहे युद्ध में भारत को तब ही सम्मिलित

(2)

किया जाना चाहिए जब भारत में 4 पहले लोकतन्त्र की स्थापना की जाये। मौलाना आजाद ने सरकार की नीति की भर्त्सना करते हुए कहा "वायसराय की इस कार्यवाही ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों सरकार भारत को अपने हाथ का खिलौना समझती है। यह युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामले में भी भारतीयों की इच्छा जानना आवश्यक नहीं समझती।"

किन्तु सरकार ने दालमटोल की नीति का सहारा लिया तथा अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना नहीं चाहती थी। अन्त में 17 अक्टूबर 1939 ई. को वायसराय लॉर्ड लिम्पिथगो ने घोषणा की "भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भीपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।" इस घोषणा से भारतीयों की अत्यन्त निराशा हुई। अतः 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने एक निम्न प्रस्ताव पारित किया तथा सभी मन्त्रालयों से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया। अतः कांग्रेस ने 8 प्रदेशों में प्रांतीय मन्त्रालयों से त्यागपत्र दे दिये। मुस्लिम लीग इससे पलन्स हुई। सरकार अटकलें डालने में सफल हुई। किन्तु कांग्रेस युद्धकाल में अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन करना नहीं चाहती थी 23 जुलाई 1940 को कांग्रेस ने पुनः सरकार से निवेदन किया कि वह भारत की स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार कर लेती भारत शहीद की सहायता करने को तैयार है। लेकिन चर्चिल इसके

(3)

लिये तैयार नहीं हुआ अतः वायसराय विनालिचंगी ने 8 अगस्त 1940 ई० को एक घोषणा की जो 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा तथा युद्ध परामर्श समिति पर एक समिति बनाई जायेगी। युद्ध की समिति पर एक समिति बनाई जायेगी जो भारत के भावी स्वविधाय की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। इस समिति में कांग्रेस मुस्लिम लीग व इसी प्रकार के अन्य दल भी भाग लेंगे। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

और कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। 1941 ई० में मित्र राष्ट्रों की युद्ध में स्थिति गंभीर हो गई। जापान ने शंघुन पर अधिकार कर लिया और उसके भारत पर आक्रमण की संभावना हो गई। इस संकट का सामना करने के लिये भारतीयों का सहयोग आवश्यक था अतः इंग्लैंड पर अमेरिका, चीन आदि देशों ने दबाव डाला। अतः भारत की समस्या पर विचार करने व उसे सुलझाने के लिये सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया।

I क्रिप्स मिशन :->

सर स्टैफर्ड क्रिप्स समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा हरिजन शताब्दी उदारवादी नेताओं से विचार-विमर्श किया तथा 30 मार्च 1942 को कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। क्रिप्स को भारत भेजने के निम्नलिखित कारण थे।

1) इस समय मित्र राष्ट्रों की निरन्तर पराजय हो रही थी। मित्र राष्ट्र जापान को यूरोप में लों भागे बढ़ने से रोकने के लिये शंघुन पर परन्तु एशिया में

(9)

जापान की विजय वांछी अप्रतिहत ताति से आगे बड़ी। मलया, इंडो-चायना और इंडोनेशिया में जापान की सेनाओं के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मार्च 1942 को जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया। बर्मा के पतन से ब्रिटिश सरकार बहुत घबराई - चार्चिल ने स्वीकार किया कि यदि इंडोनेशिया को भारत की रक्षा करनी है तो राजनैतिक गतिरौधी को दूर करना चाहिए। भारत के सिर पर मण्डरते खतरे ने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन कर दिया। सु. प्रवर्धरलाल मेहरा के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आ गया। वे देश को प्रतिरक्षा के लिये संगठित करना चाहते थे। वे सरकार के साथ सहयोग करने के लिये कुछ शर्तों पर तैयार थे। इस जापान की पूर्वी विजय ने ब्रिटिश सरकार को विश कर दिया कि वह भारत की और नया दृष्टिकोण अपनाये राजनैतिक गतिरौधी को दूर करने के उद्देश्य से क्रिस मिशन को भारत भेजा गया।

2. फरवरी 1942 में राष्ट्रवादी चीन के नेता मार्शल च्यांग काई-शेक भारत आये और उन्होंने इंडोनेशिया से अपील की कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग पर सहप्यता पूर्वक विचार करे। उन्होंने किवाई सन्देश में यह कहा कि भारत के प्रतिनिधियों को वास्तविक शक्ति दे दी जाये और जब तक भारत अपनी स्वतंत्र रचना से युद्ध में भाग नहीं लेगा तब तक वह

उतनी सहायता नहीं देगा जितना वह दे सकता है।

3. चर्चिल ने सितम्बर 1941 ईमें एटलान्टिक-चार्टर को भारत में लागू करने से इनकार कर दिया। चार्टर में युद्ध की समाप्ति पर प्रत्येक राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार देने का निश्चय किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल पर इस बात का दबाव डालना आरंभ किया कि वह युद्ध में भारत का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ करे।

4. ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डेनवू ने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में कहा कि भारत को स्वराज्य दे दिया जाय ताकि भारत युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग दे सके।

इस प्रकार युद्ध के संकटी और विश्व जनमत के दबाव ने क्रिस मिशन के लिये अंग्रेज तैयार किया। अंग्रेज पक्ष के चार दिन बाद "मार्च 1942 को चर्चिल ने संसद में घोषणा की कि वे जापान की प्रगति के कारण भारत के लिये जो खतरा पैदा हो गया है उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि सभी वर्गों का संगठन करना चाहिये और सर स्टैफर्ड क्रिस ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय शांतिरोध का अन्त करने के लिये भारत को प्रस्थान करेंगे। इस घोषणा को भारत स्वागत किया गया था। भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये क्रिस 22 मार्च 1942 को भारत आये। उन्होंने वायसराय तथा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से बातचीत की तथा इसके बाद भारतीय

नेताओं से मिले। क्रिप्स ने जो प्रस्ताव पेश किये वे नें क्रिप्स योजना के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रस्ताव निम्न लिखित थे।

II भविष्य के सम्बंध में :->

(युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव) ->

1. उपनिवेश या अधिराज्य की स्थापना :-

(औपनिवेशिक स्वराज्य) :->

प्रारूप में कहां गया भारत के साथ की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के सम्बंध में इंग्लैंड और भारत में जो चिन्ताएं प्रकट की गईं उनको ध्यान में रखते सम्राट की सरकार ने भारत में शीघ्र-से शीघ्र स्वशासन (Self Govt) के विकास के लिये निश्चित कदम उठाने की का निश्चय किया है। ब्रिटिश सरकार एक नये भारतीय संघ की उत्पत्ति करना चाहती है जो एक ऐसा अधिराज्य (Dominion) होगा जो ब्रिटिश ताज की तरफ अपनी भावना रखने के कारण इंग्लैंड में तथा अन्य उपनिवेशों से अपना सम्बंध रखेगा। यह अधिराज्य हर दृष्टि से दूसरे उपनिवेशों के बिल्कुल समान होगा और आन्तरिक तथा बाहरी मामलों के किसी के अधीन नहीं होगा। क्रिप्स योजना का यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। अभी तक ब्रिटिश सरकार ने केवल औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार किया गया था। किन्तु अब क्रिप्स ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश का दर्जा प्रदान किया जायेगा। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार युद्ध में

भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी।

2. संविधान सभा की स्थापना: →

युद्ध की समाप्ति होने के एकदम बाद भारत में एक निर्वाचित परिषद् बैठाने के लिये कदम उठाये जायेंगे। जिसका कार्य भारत के लिये एक नया संविधान तैयार करना होगा।

3. संविधान सभा में देशी रियासते: →

संविधान सभा में देशी रियासती का भी प्रतिनिधित्व होगा। देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनौनीत भी हो सकते हैं। देशी रियासते भी नया संविधान मानने के बाध्य नहीं होंगी।

4. प्रान्तों को अलग संविधान बनाने का अधिकार: →

जो प्रान्त संविधान सभा द्वारा बनाये गये संविधान से सहमत नहीं होंगे, वे चाहे तो अपना अलग संघ बनाने शकते हैं। उन्हें अपने लिये नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। इनकी स्थिति भी भारतीय संघ की तरह ही होगी।

5. संविधान सभा की रचना: →

युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जायेगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासती के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि प्रान्तीय विधानमण्डलों के निम्न सदस्य द्वारा भानुपतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जायेंगे।

(8)

निर्वाचन प्रणाली में जितने सदस्य होंगे।
इसके 10% सदस्य संविधान में सुधार में
शेरे जायेंगे। जहां तक राज्य का संबंध है
वे अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपने
प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

6. संविधान सभा भारत के लिये जो संविधान
तैयार करेगी उसे स्वीकार करने और
कायम रखने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश
सरकार अपने ऊपर लेती है किन्तु उसमें
को शक्ति होगी।

(A) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत उस
संविधान से सहमत न हो तो वह अपनी वर्तमान
कानूनी स्थिति कायम रख सकता है यदि
अविषय में वह संघ में प्रवेश करना चाहे
तो कर सकता है। यदि किसी प्रांत की
संविधान सभा 60% बहुमत से संघ में रहने
का निश्चय नहीं करती, तो उसके संघ
में प्रविष्ट होने का अंतिम निर्णय जनमत
संग्रह द्वारा हो सकेगा। नये
संघ में सम्मिलित न होने वाले प्रांतों को
सम्राट की सरकार नया संविधान देने को
तैयार होगी। देशी रियासतों के लिये भी यह
कालव्यापी जायेगी।

क्रिप्स की इस योजना के पीछे ब्रिटिश
सरकार की यह नीति स्पष्ट थी कि वह भारत
में अभी भी अपना प्रभुत्व का प्रभुत्व कायम
रखना चाहती थी।

(B) संविधान सभा व ब्रिटिश सरकार के बीच एक

सन्धि की जायेगी जिसमें इस विषय को सम्मिलित होगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शक्ति हस्तान्तरित करे। ब्रिटिश सरकार द्वारा समय-2 पर अल्पसंख्यकों को जो भाइवासन दिये गये हैं उनकी रक्षा भी इस संधि में की जायेगी

III वर्तमान के सम्बंध में: → (युद्ध के समय लागू होने वाले सुझाव) →

योजना के प्रारूप में कहा गया कि जब तक युद्ध चल रहा है भारत की रक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन पर रहेगा। जिस के शब्दों में "इस नाजुक समय में और नए संविधान के बनने तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार रहेगी। किन्तु भारत की जनता के सहयोग से देश के सम्पूर्ण संयुक्त नैतिक, सैनिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का होगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं का अपने देश, राष्ट्र मण्डल तथा संयुक्त राष्ट्रों के परामर्श में पूरा सहयोग चाहती है। इस तरह से भारतीय नेताओं को उस कार्य में अपना अचलात्मक सहयोग देने का अवसर मिलेगा जो भारत के भविष्य के लिये बहुत आवश्यक है।

इन प्रस्तावों द्वारा सभी दलों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया था। पृथ्वी शीतारमैया ने ठीक ही कहाँ है - कि प्रस्ताव में विभिन्न संधियों को संतुष्ट करने के लिये विभिन्न पक्षों को कांग्रेस की औपनिवेशिक स्वराज्य तथा इंग्लैंड से सम्बंध तोड़ने तथा राष्ट्रमण्डल से अलग हो सकने की मांग की स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा के विषय में भी उसी मांग की स्वीकार

कर लिया था रियासती और मुस्लिम लीग को काफी रियासती दी गई थी। रियासती को नवीन संविधान मजिल्ल मानने अथवा न मानने की छूट था। मुस्लिम बहुल प्रांतों को नये संविधान को मानने या अपनी वर्तमान संविधानिक रीवाज को कायम रखने का अधिकार दे दिया। फिर भी कोई दल इन प्रस्तावों से सन्तुष्ट नहीं था।

iv कांग्रेस द्वारा प्रस्तावों की अस्वीकृति :->

(a) कांग्रेस को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से थी कि क्रिस ने अस्पष्ट अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के अलग राज्य की मांग स्वीकार कर ली थी। प्रस्तावों के अनुसार, प्रांतों को संविधान में सम्मिलित होने अथवा न होने की स्वतंत्रता दी गई थी। उन्हें अलग संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। दूसरे शब्दों में यह पाकिस्तान के निर्माण पर स्वीकृति की मांग लगाना ही था। मुस्लिम बहुल प्रांत सभी भी संघ में स्वीकृत रूप से सम्मिलित नहीं होते।

(b) कांग्रेस इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि संविधान शक्ता में रियासती को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार तथा जनता को न होकर शासकों को था। इससे वहाँ की जनता की अपेक्षा होती। दूसरे देशी शासन अंग्रेजों को प्रसन्न करने की कोशिश करते और देश की प्रगति में बाधक बनते।

(c) युद्ध के पश्चात् भारत और ब्रिटेन के बीच शत दस्तान्तरीय सम्बंध में एक संधि की

व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार ब्रिटेन भारत को शता सौपने से पूर्व इस बात का आश्वासन उभरि पूरी गारंटी चाहता था कि भारत में अल्पमतों की सुरक्षा हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह था कि संविधान बन जाने के बाद भी अल्पमतों की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटेन अपनी नियंत्रण भारत को नहीं सौंपा गया था। नए संविधान के निर्माण तक भारतीय रक्षा तथा उसके युद्ध सम्बंधी निर्णयों पर सम्राट का नियंत्रण था। चुकी कि उस भारत के प्रतिनिधियों को देश की रक्षा के पर प्रभावशाली नियंत्रण देने के लिये तैयार नहीं था। इसलिए कांग्रेस के पास उसके सुझावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था।

(b) कांग्रेस उस बात पर बहुत बल देती थी कि वर्तमान विषय स्वाति के देखते हुए केन्द्र में एकदम राष्ट्रीय दुरुमत स्थापित कर दी जाय, वायसराय के पास नाम मात्र की शक्तियाँ रहे और असली शक्तियाँ भारतीय प्रतिनिधियों के हाथ में आ जायें। महात्मा गाँधी ने इन प्रस्तावों के विषय में कहा था कि यह आगे की तर्कीय में भुनाये जा सकने वाला चीक है।

2. मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृति:-

(a) मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया क्योंकि उसकी मुख्य शिक्षा यह थी कि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप स्वीकार नहीं किया जागा था।

(b) इन सुझावों में हिन्दु और मुस्लिम दोनों के लिये अलग-2 संविधान सभा का सुझाव नहीं था।

(12)

(c) लीग का मानना था कि संविधान सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पृथक् चुनाव-प्रणाली द्वारा होना चाहिए। संविधान सभा में निर्णय बहुमत द्वारा होगा, इसलिये वे हिन्दुओं की दशा पर आश्रित रहे।

(d) सूता हस्तांतरण के विषय में सभी भारत और ब्रिटेन शर्तें तय नहीं की गई थी।

(e) लीग को इस बात पर एतराज था कि जो अन्तरिम व्यवस्था की गई, उसमें न तो कोई ठोस सुझाव है न ही लीग विशेष अधिकार।

(f) प्रान्तीय विधानमण्डल में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व संतुष्टजनक नहीं है।

3 अन्य दलों द्वारा अस्वीकृति: →

यह योजना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अतिरिक्त हिन्दु महासभा और अकाली दल और हरिजनों ने भी क्रिप्स 'एन' प्रमान्य कर दिया। सिख पंजाब में पाकिस्तान निर्माण के विरोधी था। हिन्दु महासभा ने भी विभाजन के आधार पर इसे अस्वीकार दिया। और हरिजन नेताओं ने इन प्रस्तावों को इसलिये रद्द कर दिया क्योंकि वे उच्च उच्च जाति के हिन्दुओं की दशा पर आश्रित हो जाते।

V क्रिप्स के सुझावों की असफलता के कारण: →

(a) दुरस्थ योजना: → इस योजना के महायुद्ध के समाप्त होने के भारत में

औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करने का भाष्यतानत्र तो सन्तोषजनक था किन्तु इसका संबंध वर्तमान से न होकर विभा भविष्य से था। गांधी ने कहा "यह भविष्य की तीरी का ऐसे बिक के नाम के चक्र था जिसे कभी दया स्पर्शतः खराब होती जा रही थी।"

- 6) प्रस्तावों की अपर्याप्त अपर्याप्तता: → किरण के प्रस्तावों की अपर्याप्तता का मुख्य कारण यह था कि वे भारतीय स्थिति को हल करने के लिए काफी नहीं थीं। प्राचीन संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने के लिये इकाई लिया था संविधान सभा बनाने के दंग साम्प्रदायिकता और प्रदेशिकता पर निर्भर था। संघीय विधानमण्डल में संविधान सभा के स्थानों पर बतवारा किसी व्यापक दंग से नहीं किया गया था। संविधान सभा, जिसको साम्प्रदायी के लिये शूरित प्रतिगाने के आधार पर चुना जाना था, उससे यह नहीं की जा सकती थी कि वह साम्प्रदायिक समस्याओं और प्रदेशिक शरण के विषय भारतीय के हितों का विचार करेंगे।
- भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि जो राजाओं और महाराजाओं द्वारा नामजद किये जाते थे, वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मिलकर एक हीस गुरु बनाते थे। प्राचीन स्वतन्त्र यह सबके की शूर से भारतीय सक्तता नष्ट होने की संभावना थी। इससे भारत कई तुकड़ी में बंट जाता। इन सुझावों में वर्तमान समस्याओं को सुलझाने हेतु कोई सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं थी।

2. अंग्रेज अधिकारियों का स्वार्थ व हर असहयोग:

अंग्रेज अधिकारी भारत को वास्तविक स्वतंत्रता देना नहीं चाहते थे। क्रिस ने भारत में अपनी बात चीत के समय प्रधान मंत्री चर्चिल से कई बार परामर्श किया, परन्तु चर्चिल भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देने के पक्ष में नहीं था। लार्डी ने लिखा है कि सरकार ने हर स्टैंफर्ड क्रिस को भारत की समस्याओं को हल करने के सच्चे उपायों से नहीं गैजा था। असली विचार भारत को स्वाधीनता देना नहीं बल्कि मित्रराष्ट्रों की आंखों में छ धूल डालना था जो अमेरिका और फिलिपाइन द्वीप समूहों के सम्बंधों तथा ब्रिटेन ब्रिटेन और भारत के सम्बंध में जमीन-आसमान का अन्तर पति देथे।

3. लार्ड हेलिकैम्स का व्यक्तव्य:→

क्रिस के सुझावों पर कांग्रेस की कार्य समिति निर्णय करने लगी थी, लार्ड हेलिकैम्स (Lorimer G. G.) ने एक भाषण में कांग्रेस की रुढ़ी आलोचना करते हुए कहा "यदि हमारे ये सारे प्रयत्न असफल रहे तो ब्रिटिश सरकार को भारत के लो और व्यवस्थित करने के सहयोग के बिना अपना कर्तव्य पूरा करने पर सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित दल है कोई सद्ध सहयोग प्राप्त नहीं किया उन्होंने यह भी कहा कि "भारत के अन्य

दलों ने कांग्रेस के समस्त देश का प्रतिनिधित्व करने का सूक्ष्म विरोध किया है। उन व्यक्तियों से कांग्रेस में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। क्रिप्स ने भी कांग्रेस को एक पत्र लिखकर उस पर भल्पसंजक वर्ग पर आधिपत्य जमाने का आरोप लगाया। इससे कांग्रेस का रक्त प्रतापी के कठोर से प्रति कठोर हो गया।

अंग्रेजों के प्रति विश्वास में उगी :->

भारत में अंग्रेजी प्रति बड़ा भारी आविश्वास था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय दिये हुए अपने कानों का पालन नहीं किया था। इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार इन्हीं वायदों करती रही थी। और भारतीयों को भी कुछ वास्तविक शक्ति वही देना चाहती थी। अंग्रेजों ने समय-2 राष्ट्रवादियों को केवल कुचला ही था। इस वातावरण में सर्वधार्मिक मार्ग की सफलता की कोई शार ॥

क्रिप्स की गलत धारणाएँ और परिस्थिति से की संभलने की कसता दिखाना :->

क्रिप्स की भारत सम्बन्धी नीतियों में ही गई गलत धारणाएँ थी। वह सम्मत्ता था उसके सुझाव ही भारत के लिये उपयुक्त है। उसका यह गलत विचार था कि कांग्रेस में नेहरू का निर्णय ही होगा। क्रिप्स ने भारतीय स्थिति को भी ठीक ढंग नहीं सुलझाया। पहले वह केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार और मंत्रिमण्डल की स्थापना के लिये मान लिया। परन्तु बाद में ब्रिटिश

प्रधानमंत्री तथा वायसराय के द्वारा के कारण अपनी बात को पीछे हटाने लगा। इससे राष्ट्रीय नेताओं का उस पर ये विश्वास हट गया और उनमें क्रिप्स प्रस्तावों की तरफ रुका उत्पन्न हो गई।

कांग्रेस की सिद्धान्तिक दृष्टता →

कांग्रेस सिद्धान्तिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कसिबद थी। कांग्रेस के नेता आजाद ने कहा था "युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का सूत्र रखा है। हमें केवल अंग्रेजों के कर्नो पर विश्वास करके इसे खाना नहीं चाहिये। यदि अंग्रेज अपने कर्नो से फिर गये, तो फिर दुबारा आन्दोलन करने के लिये भी कोई उचित कारण नहीं मिलेगा। युद्ध हमने क्रिप्स के सुझावों को मान लिया तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा।" अंग्रेज केवल भारतीय समस्या का समाधान चाहते थे, कांग्रेस भारत की आजादी चाहती थी।

प्रतिरक्षा तथा वायसराय के विरोधाधिकार का उद्भव →

कांग्रेस की यह मांग थी कि केंद्र में एक राष्ट्रीय हुकूमत स्थापित की जाये जिसकी सलाह से वायसराय बचे। इसका सीधा अर्थ था कि वायसराय की शक्तियां पर नियंत्रण लगाया जाये। ब्रिटेन सरकार इसके लिये तैयार नहीं थी। वह मात्र कार्यकारिणी परिषद् में भारतीयों की प्रतिनिधित्व देकर

सन्तुष्ट करना चाहती थी।

इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा विभाग पर कांग्रेस भारतीयों का प्रभावी नियंत्रण चाहती थी। क्रिप्स इस सँ मसलें में केवल यहाँ तक तैयार हुआ था कि प्रतिरक्षा सँ संबंधित कुछ साधारण मामलों पर भारतीय प्रतिरक्षा मंत्रालय का नियंत्रण स्थापित होगा शेष प्रतिरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामलों प्रधान सेनापति के पास ही रहेंगे।

क्रिप्स के सुझावों का वापस लिया जाना: →

जब भारत के प्रमुख दलों ने क्रिप्स के सुझावों को मानने से इन्कार कर दिया तो क्रिप्स ने 11 अप्रैल 1942 को उन सुझावों को वापस तो लिया जब मिशन खाली हाथ लौटा तो भारतीयों को अत्यंत निराशा, क्रोध और दौभ हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता का साफ मतलब था कि ब्रिटिश सरकार अत्यंत संकट के समय में भी भारत में नती अन्तरिम सरकार बनाने के लिये तैयार है न कुछ पहनाव भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये। इससे भारत में एक अलग ही जागृति उत्पन्न हुई जिसकी परिणति 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के रूप में हुई।